न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 लखीमपुर-खीरी।
दाण्डिक वाद संख्या-4390/2023

सरकार बनाम हीरालाल उर्फ महतिया।

मु०अ०सं०-155/2018
धारा- 60(2) आबकारी अधिनियम
थाना फूलबेहड़ जिला खीरी

30.07.2024

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। कोई उपस्थित नही। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त हीरालाल उर्फ महतिया पुत्र बहादुर निवासी ग्राम मेंहदी थाना फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी की मृत्यु आख्या मय प्रमाणपत्र सम्बन्धित थाने से प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। उपरोक्त अभियुक्त की मृत्यु आख्या को सी०डब्लू० 1 कां० दिलीप कुमार पैरोकार थाना फूलबेहड़ जिला लखीमपुर द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अतः प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही मृतक अभियुक्त हीरालाल उर्फ महतिया पुत्र बहादुर निवासी ग्राम मेंहदी थाना फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी के विरूद्ध उपशमित की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई अभियुक्त नही जिसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही प्रचलित हो।

अतः पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 1
लखीमपुर खीरी
जे०ओ० कोड- UP 2206